धुरा पर पेंच (set screw) डिबरी (bolt) या चाबी (key) धुरा (spindle) चक्का (wheel) या दांतेदार पहिया (pinion) को इस प्रकार लगाया जायगा कि कोई खतरा उत्पन्न ना हो तथा उन्हें सुरक्षापूर्ण स्थिति में रखा जा सके। सभी दांतेदार पहिया (spur) सर्पिल नालिका (worm) एवं अन्य घर्षण गीयर (Friction gearing) को डब्बे में बन्द (encased) रखा जायेगा।

(7) रूई खोलने के पास स्त्रियों और बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध (prohibition of employment of women and children near cotton openers)

कारखाना के उन भागों में जहाँ रूई खोलने, बनाने तथा दबाने का कार्य किया जाता है, वहाँ स्त्रियों तथा बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। लेकिन रूई के गट्ठर बनाने (feed-end) का काम कर सकते हैं; यदि वह स्थान रूई खोलने धुनने तथा दबाने के स्थान से अलग हो।

(8) उठाव यंत्र या उत्तोलक और उपर नीचे ले जाने वाला उत्थापक (Hoists and Lifts)

उत्तोलक (Hoists) एवं उत्थापक (Lifts) का निर्माण ठोस सामग्री के द्वारा होना आवश्यक है। इसका समुचित ढंग से रख-रखाव किया जाएगा, तथा प्रत्येक 6 महीने में इसकी जाँच सक्षम पदाधिकारी द्वारा कराई जाएगी। उत्तोलक तथा उत्थापक मार्ग पूर्णतः संरक्षित रखना आवश्यक है। प्रत्येक उत्तोलक तथा उत्थापक पर अधिकतम सुवहनीय भार (Maximum,

Scanned with CamScanner

(2) गतिमान यंत्रों पर या उसके निकट काम (Work on or near machinery in motion)

यदि गतिमान यंत्रों का परीक्षण करना आवश्यक हो तो ऐसा परीक्षण केवल प्रशिक्षित वयस्क श्रमिकों द्वारा चुस्त कपड़े पहन कर किया जायगा। किसी भी कर्मकार को गतिमान घिरनी (Moving pully) पर पट्टे चढ़ाने तथा पट्टे (Belt) को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि पट्टे (Belt) की चौड़ाई 15 सेन्टीमीटर से कम हो। किसी भी महिला तथा युवा कर्मकारों को मुख्य गतिमान यंत्र (Prime moves machinery) तथा संचारण यंत्र (transmission machinery) के किसी भाग की सफाई या तेल देकर सर्विस करने (lubricate) या समायोजन (adjustment) की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) खतरनाक मशीनों पर युवा व्यक्तियों का नियोजन (Employment of young persons on dangerous machines)

किसी भी युवा व्यक्तियों को किसी भी यंत्र (Machine) पर काम करने की अनुमति तबतक प्रदान नहीं किया जायेगा, जबतक कि उसे यंत्र (machine) में उत्पन्न होने वाले खतरों एवं सुरक्षात्मक उपाय के बारे में बता नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त युवा व्यक्तियों को कार्य का पूर्ण प्रशिक्षण देना तथा अनुभवी व्यक्तियों को कार्य का पूर्ण प्रशिक्षण देना तथा अनुभवी व्यक्तियों के पर्यवेक्षण (supervision) में रखना अनिवार्य है। इस संबंध में राज्य-सरकार को दिशा निर्देश देने का अधिकार है।

Scanned with CamScanner

Safe working load) स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है। उत्तोलक तथा उत्थापक में पर्याप्त दरवाजा का होना आवश्यक है।

(9) ऊपर-नीचे ले जाने वाला यंत्र या उत्थापक यंत्र तथा जंजीर, रस्से आदि (Lifting machines, chains, ropes etc.)

प्रत्येक कारखाना में वजन या भार उठाने वाला मशीन में उपयोग में लाई जाने वाली जंजीरों (chains), रस्सियों (ropes) और उत्थापक रस्सा औजार (Lifting-tackles) के निर्माण रख-रखाव के लिए कड़ी मानदण्ड निर्धारित कर दिए गए हैं जो उत्तोलक (Hoists) तथा उत्थापक (lifts) के लिए लागू होते हैं।

(10) घूमन्तू या परिक्रामी यंत्र (Revolving machinery).

जिस कारखाना में घिसाई (grinding) की प्रक्रिया चलती हो, वहाँ प्रत्येक सान लगाने के पत्थर या सान (Grind stone) या घिसने वाले चक्र (abrasive wheel) की अधिकतम सुरक्षित चाल की सूचना स्थायी रूप से लिखी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त लम्बा धुरा (spindle) जिस पर चक्का लगा होता है कि गति का भी लिखा होना आवश्यक है। इसी तरह घूमन्तु पात्रों (Revolving vessels) पिंजर (cage) टोकरी (basket) गति चालक चक्र (fly wheel) घिरनी (pully) के निर्धारित गति के अतिक्रमण को रोकने के भी प्रभावी उपाय किए जायेंगे।

Scanned with CamScanner

Lec- 20
Dr. Parikshit Kr Singh.
Dept. of LSW
SNSRKS College, Saharsa

कारखाना अधिनियम, 1948

सुरक्षा सम्बन्धी उपबन्ध
(Provisions relating to safety)

अधिनियम के सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण उपबंध हैं, जिसकी चर्चा धारा 21 से 41 में की गई है जो निम्नलिखित हैं -

(1) यंत्रों को घेरना- (Fencing of Machinery)

प्रत्येक कारखाना में यंत्रों या उनके भागों को घेरना आवश्यक है, इनमें ये यंत्र सम्मिलित हैं

(i) मशीन का मुख्य गतिमान भाग (Moving part of Prime-mover) तथा गतिपालक चक्र (Fly wheel)

(ii) जलचक्र (Water wheel) और जल टर्बाइन (Water turbine) में पनचक्की की मुख्य चाल (Head race) तथा चक्की का निचला नाला जिससे पानी निकाला जाता है (tail race)

(iii) विद्युत उत्पादक (Electric generator), मोटर (Motor) एवं घूमने वाला बिजली के करंट में परिवर्तन करने वाला यन्त्र (Rotary converter) संचारण मशीनरी के भाग (Transmission machinery) तथा मशीन के प्रत्येक खतरनाक भाग (Dangerous Parts of Machinery) इस संबंध में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।

(4) अद्भुत या चित्राकर्षक उपकरण और शक्ति को आघात करने की युक्तियाँ (Striking Gear and Devices for cutting off power)

चलन पट्टे (Driving Belt) के लिए उपयुक्त अद्भुत उपकरण (striking gear) तथा कार्यदक्ष यांत्रिक उपकरण (efficient mechanical applianee) का इस्तेमाल किया जायगा। इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा कि पट्टा (belt) द्रुतगामी घिरनी (Fast pully) पर वापस न आ जाए। आपातकालीन परिस्थितियों में शक्ति या बिजली (Power) को आघात या काटने हेतु उपयुक्त उपकरण की व्यवस्था आवश्यक है।

(5) स्वचालित यंत्र (self acting machines)

किसी भी कारखाना में स्वचालित यंत्र के तिरछे भाग (transversing part) के ऊपर से कोई भी सामग्री तभी ले जाया जायेगा जब किसी शक्ति के चलने लायक जगह हो, अर्थात् यंत्र के बाहरी या भीतरी गमन पथ (outward or inward traverse) के 18 इंच की दूरी के अन्दर नहीं चलने दिया जायगा। अधिनियम के लागू होने के पूर्व स्थापित उद्योगों को इस सम्बन्ध में मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा छूट दिया जा सकता है।

(6) नये यंत्रों का बाहरी कवर (casing of new machinery)

अधि नियम के लागू होने के बाद स्थापित प्रत्येक कारखाना में यंत्रों के विभिन्न भागों जैसे घूमते हुए

Scanned with CamScanner

कोई भाग या यांत्रिकी या संयंत्र खतरनाक स्थिति में है, जिससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है तो उस भाग के प्रयोग हेतु स्थगन आदेश दे सकता है, जबतक कि उनकी उचित मरम्मत नहीं कर ली जाती तथा उसकी सुरक्षता की जाँच निर्धारित जाँच दूरा नहीं करली जाती है।

(21) भवनों एवं यंत्रों की सुरक्षा (safety of Building and machinery)

कारखाना निरीक्षण की नजर में कारखाना के किसी भवन या भवन का कोई भाग या मार्गों का कोई भाग यंत्र या संयंत्र से मानव जीवन में कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है तो वह अधिष्ठाता (occupier) या प्रबंधक (Manager) को निर्धारित तिथि तक भवनों या यंत्रों को सुरक्षित बनाने हेतु लिखित निर्देश दे सकता है।

(22) भवनों की रक्षा या रख-रखाव (Maintenance of buildings)

अगर कारखाना निरीक्षक यह महसूस करता है कि कारखाना का कोई भवन या भवन का कोई भाग श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए क्षतिकारक साबित हो सकता है तो कारखाना के उस भाग के प्रयोग को मरम्मत होने तक स्थगित रखा जा सकता है। कारखाना निरीक्षक अधिष्ठाता (occupier) या प्रबन्धक (manager) को निर्धारित तिथि तक इसकी मरम्मति का लिखित आदेश दे सकता है।

(23) सुरक्षा अधिकारी (safety officer)

प्रत्येक कारखाना में जिसमें एक हजार या इससे अधिक श्रमिक नियुक्त हों तथा राज्य सरकार की नजर में विनिर्माण प्रक्रिया से नियोजित व्यक्तियों की दार्शनिक मृत्यु की संभावना, विष प्रयोग (poisoning) या बीमारी या कोई अन्य खतरा से व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है तो वहाँ राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित संख्या में सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्यों योग्यताओं तथा सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार कर सकती है।

(24) इस अध्याय के परिशिष्ट से संबंधित नियम बनाने की शक्ति (Power to make rules to supplement this chapter)

राज्य सरकार किसी भी कारखाना में नियोजित व्यक्तियों के सुरक्षा की दृष्टि से संबंधित कोई भी नियम बना सकती है।

—x—

Scanned with CamScanner

(11) दबाव संयंत्र (Pressure plant)

जिस काम में सामान्य वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव की आवश्यकता होती है उसके लिए सुरक्षित कृत्रिम वायु-दबाव की व्यवस्था की जायेगी। इस संबंध में राज्य सरकार किसी भी संयंत्र या यंत्र के परीक्षा (Examination) तथा जाँच (testing) हेतु नियम बना सकती है। राज्य सरकार को इस उपबंध में छूट देने का भी अधिकार है।

(12) फर्श सीढ़ियाँ एवं प्रवेश साधन (Floors stairs and means of Access)

प्रत्येक कारखाना में फर्श (floors) कदम (steps) रास्ता (passages) तथा गलियारा (gang ways) का मजबूती से निर्माण होना चाहिए तथा उसका उचित ढंग से देख-रेख होना चाहिए। आवश्यकतनुसार सीढ़ियों में पकड़ने के लिए डण्डा या रैलिंग (Handrails) लगाया जाना चाहिए। प्रत्येक कारखाना में जहाँ तक संभव हो सके सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित प्रवेश साधन की व्यवस्था होनी चाहिए।

किसी व्यक्ति के कार्यस्थल से दो मीटर से अधिक की दूरी से गिरने की संभावना हो तो वहाँ सुरक्षा के लिए आड़ या बाड़ (fencing) लगाना या अन्य उपाय करना आवश्यक है।

(13) गड्ढा या बिल, हौज या दूसरे प्रकार का फर्श में खुलना (pets, sumps, openings in floors and others)

प्रत्येक स्थिर पात्र (fixed vessels), गड्ढा (pits),

की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहाँ खतरनाक धुओं की अवस्थिति से व्यक्ति के जीवन को खतरा हो।

ऐसे स्थानों में प्रवेश के पूर्व उनमें मौजूद धुआँ, गैस, वाष्प या धूलकणों को हटाना आवश्यक है। इस संबंध में सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे कि वह स्थान व्यक्तियों के प्रवेश करने के योग्य हो गया है। ऐसे स्थानों में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को उपयुक्त श्वसन उपकरण पहनना आवश्यक है।

(17) वहनीय विद्युत् प्रकाश के उपयोग से संबंधित सावधानी (Precautions regarding use of portable electric light)

वहनीय विद्युत प्रकाश या अन्य कोई विद्युत उपकरण जिसकी विद्युत शक्ति 24 वोल्ट से अधिक हो, को किसी बन्द स्थान (chamber), तालाब (tank), कुंड (vat), नलिका (Pipe), चिमनी (flue) या किसी संकीर्ण स्थान में ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त सभी निषिद्ध स्थानों के भीतर यदि ज्वलनशील गैस, धुआँ या धूल पाया जाता है, तो वहाँ सिर्फ अग्निजीत (Proof fire) लैम्प का ही प्रयोग किया जायगा।

(18) विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस आदि (Explosive or inflammable dust gas etc)

किसी कारखाना के विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान धूल, गैस, धुआँ या वाष्प कहाँ मात्रा में निकलती हो, जिससे विस्फोट होने की संभावना हो तो वहाँ विस्फोट से बचाव हेतु संयंत्र या यंत्रों में प्रभावकारी आवरण

Scanned with CamScanner

हौज (sumps) या भूमि या फर्श में दरार जो खतरे के स्रोत के रूप में जाना जाता हो, उसे सुरक्षित रूप से ढका जाएगा या आड़ (fence) लगाया जायेगा। राज्य सरकार को इस उपबंध में छूट देने का अधिकार किसी भी कारखाने को है।

(14) अत्यधिक भार (Excessive weight)

किसी भी कारखाना में श्रमिकों को भारी बोझ उठाने, ले जाने या खिसकने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जिससे कि उसे पीड़ा (injury) पहुँचने की संभावना हो। राज्य सरकार वयस्क पुरूषों, वयस्क महिलाओं, किशोरें एवं बालकों के लिए इस संबंध में आवश्यक नियम बना सकती है।

(15) आँखों की सुरक्षा (protection of eyes)

यदि किसी कारखाना के विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा श्रमिकों की आँखों को क्षति पहुँचने की संभावना रहती है तो राज्य सरकार आँखों की रक्षा हेतु प्रभावकारी पर्दे (screens) या उपयुक्त रंगीन चश्मा (goggles) की व्यवस्था को अनिवार्य कर सकती है।

(16) खतरनाक धुआँ गैस इत्यादि से सावधानी (Precautions Against dangerous fumes gases and others)

किसी कारखाने में किसी भी व्यक्ति को किसी बन्द स्थान (chamber), तालाब (Tanks), कुंड (vat), नलिका (pipe), चिमनी (flue) या किसी संकीर्ण स्थान में प्रवेश

Scanned with CamScanner